

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 18-11-15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 3608-एक/15 विरुद्ध आदेश
दिनांक 26-10-2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक
73/अ-21/2014-15.

केशलाल मार्को पिता अमानी सिंह मार्को

निवासी 78 ग्राम इन्द्रा

तहसील व जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री भैरव साहू उम्र 30 वर्ष पिता श्री शंकरलाल साहू

निवासी ग्राम परतला, पोस्ट पड़वार थाना बरेला,

तहसील व जिला जबलपुर

2- श्री शिवम उपाध्याय उम्र 25 वर्ष पिता श्री पवन उपाध्याय

निवासी संजीवनी नगर, दुर्गा चौक,

तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

Ra

XXXIX(a)BR(H)-11

रलखु सणुडल, ढधुडुरेशु, वुवललडुर


डुरकरणु कुरडलंक नलगु 3608-एक/15

खललल - खडलडुर

सुथलन तथल दलनलंक	करुडुवलहुी तथल आदेशु	डुरडुरकलरुी एवुं अडुरलडुरलषुकुी आदल कुरु हसुतलकर
18-11-15	<p>यह नलगरलनी कललेक्टर, खडलडुर दुवलरल डुरकरणु कुरडलंक 73/अ-21/14-15 डुरु डुरलरलत आदेशु दलनलंक 26-10-15 कुरु वलरुदु डु0डुर0 डुरु-रलखुसु सलंहलतल, 1959 (खलसु आगुरु सलंहलतल कहुल खलरुेगल) कुरु धलरल 50 कुरु तहत डुरसुतुत कुरु गुरु हुरु ।</p> <p>2- उडुरडुरडुरकुी कुरु वलदुधुन अधलवकुतलकुी अधलवकुतलकुी कुरु तकुी डुर वलकलर कलडुरल एवुं आवेशुक अधलवकुतल दुवलरल डुरसुतुत अधलनसुथ नुडुरलडुरलडुर कुरु अडुरललेखु कुरु आदेशु डुरतुरलकलरुी एवुं अडुरदुसुतलवुरुकुी कल डुरलरलशुीलन कलडुरल । यह डुरकरणु आवेशुक दुवलरल अधलनसुथ नुडुरलडुरलडुर कुरु सडुरडुर डुरसुतुत डुरुडुरल वलकुरडु कुरु आवेशुकन डुर डुरलरुंभ हुलल हुरु । खलसुडुरु आवेशुक दुवलरल गुरलडु खडुनलडुरल डु.ह.नं. 81 रल.नल. डुं. खडुहलरलडुरल तहसुील व खललल खडलडुर सुथलत डुरुडुरल खसुरल नं. 446/3 रकडुरल 1.090 हुरुकुतलरु कुरु वलकुरडु कुरु अनुडुरतल दुरुने कल अनुरुुष कलडुरल गलडुरल हुरु । उकुतु आवेशुकन कललेक्टर दुवलरल अनुवलडुरलडुरलडुर अधलकलरुी कुरु खलंक कर डुरतलवेशुकन हुरुतु डुरेखल गलडुरल । अनुवलडुरलडुरलडुर अधलकलरुी नुरु उकुतु आवेशुकन तहसुीलदलर कुरु खलंक हुरुतु डुरेखल गलडुरल । खलसु डुर सुरु तहसुीलदलर दुवलरल वलधलवत खलंक कर तथल उडुरडुरडुर कुरु कथन लुरुने कुरु डुरडुरलंत डुरुडुरल वलकुरडु कुरु अनुशुंसल कल डुरतलवेशुकन अनुवलडुरलडुरलडुर अधलकलरुी कुरु डुलधुडुडु सुरु कललेक्टर कुरु डुरसुतुत कलडुरल गलडुरल हुरु । डुरतलवेशुकनुरुी डुरु यह डुरुडुरल सुडुरसुतु उललुलख कलडुरल गलडुरल हुरु आवेशुकन दुवलरल वलकुरडु कुरु खलरुी डुरुडुरल शलसन सुरु डुडुरु डुर डुरलडुरत डुरुडुरल नहुी हुरु डुरुलकल आवेशुकन दुवलरल कुरडु कुरु गुरु हुरु । कललेक्टर नुरु डुरुखुडु रुरुडु सुरु आवेशुकन कुरु इस आधलर डुर डुरसुतलवलत डुरुडुरल वलकुरडु कुरु अनुडुरतल दुरुने सुरु इंकलर कलडुरल हुरु कल डुरशुनलधुीन डुरुडुरल डुरल आवेशुकन कल नलडु सुंशुुधलत कलए खलने कल आदेशु दलनलंक 21-1-15 कुरु हुलल हुरु और उसकुरु तीन डुलह डुलदु आवेशुकन दुवलरल डुरुडुरल वलकुरडु कल अनुडुरंध कलडुरल गलडुरल हुरु, इस कलरुण अंतलरुण सुरुदुहलसुडुडु हुरु और आवेशुकन कुरु हलतुी कुरु वलरुदुडु हुरु । कललेक्टर कल उकुतु नलषुकुरुष नुडुरलडुरलडुर एवुं वलधलसुडुडुडुडु नहुी हुरु कुरुडुरुी कुरु सलंहलतल डुरु एसल कुरुी डुरलवधलन नहुी हुरु कल डुरुडुरल कुरडु कलडुरल खलने अथवल अडुरललेखु डुरु नलडु डुरुल हुरुने कुरु एक डुलह डुलदु उसकल अंतलरुण नहुी कलडुरल खल सलकतल हुरु । इसकुरु अतलरलकत तहसुीलदलर दुवलरल खु डुरतलवेशुकन डुरेशु कलडुरल गलडुरल हुरु उसडुरु सुडुरसुतु उललुलख कलडुरल गलडुरल हुरु कल डुरु आवेशुकन कुरु डुरलडुरलडुरत डुरतलडुरल डुलल रलहुल हुरु और अंतलरुण डुरु डुरुल कडुडु नहुी हुु रलहुल हुरु तथल डुरुडुरल</p>	

fas

mm

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>for</p>	<p>विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार ब्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम जमुनिया प.ह.नं. 81 रा.नि. मं. खमहरिया तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. 446/3 रकबा 1.090 हेक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- क्रेता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । <p>यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p style="text-align: center;">  सदस्य </p>